रजिस्ट्री सं० डी०(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 29, 1977 (कार्तिक 7, 1899)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 29, 1977 (KARTIKA 7, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	585
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1493
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	31
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1185
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	3051
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3781
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	517
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	4817
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	885
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	155
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1779
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	177

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	585
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1493
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	31
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1185
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3051
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3781
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	517
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	4817
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .	885
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	155
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1779
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	177

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 सितम्बर, 1977

संकल्प

सं० 12024/2/77-टी० डी०—पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में वित्तीय निवेश में पर्याप्त बढ़ोतरी होने के साथ, आदिवासी विकास में प्रशासनिक अनइच्छुकता एक प्रमुख अवरोध के रूप में प्रकट हुई है। पुनरीक्षण से पता चलता है कि बहुत से आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारणों से विस्तार एजेन्सी समेत सामान्य प्रशासन और स्थानीय समुदाय के बीच सम्पर्क का अभाव है। कार्य सम्बंधी जिम्मदारियों में इसलिए काफी दोहरापन है क्योंकि प्रशासनिक ढांचा अत्यधिक विशिष्ट बन गया है और अलग-अलग भागों में बटा हुआ है। बहुत से पद विशेषकर महत्वपूर्ण तकनीकी पद खाली पड़े रहते हैं अथवा उन पर कोई नियुक्त नहीं रहता जिससे समस्त विस्तार एजेन्सी और प्रशासन शिथिल हो जाता है।

2. उपयोजना के बनाने से सबंधित मार्ग-दर्शी सिद्धांतों में प्रशासनिक तंत्र के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया गया था। स्वयं संविधान में भी आदिवासी क्षेत्रों से सबंधित मामलों के प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। अनुच्छेद 275 (I) के प्रथम परन्तुक में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए विशेषरूप से उल्लेख है। तथापि, इन उपबंधों को उपयुक्त रूप से अभी स्पष्ट किया जाना है। विशेषकर अगली योजना अवधि के दौरान, विकास के संबंध में नये प्रयास के साथ प्रशासन को जो नई जिम्मदारी निभानी होगी उससे अब यह आवश्यक हो जाता है कि प्रशासनिक ढांचे का विशेषकर कृषि और उससे सबद्ध क्षेत्रों, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में नियमित रूप से तत्काल पुनरीक्षण किया जाए ताकि इसका पुनर्गठन और पुनर्निर्माण किया जा सके जिससे कि समबद्ध कार्यक्रम के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों और जातियों का विकास निश्चित रूप से और तेजी से किया जा सके। इसलिए, इस सबंध में पुनरीक्षण करने और उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन करने का प्रस्ताव है।

3. कार्यकारी दल का गठन निम्न प्रकार होगा —

(1) श्री जे० पी० नायक, सदस्य सचिव, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।	अध्यक्ष	
(2) मध्य प्रदेश, बिहार उड़ीसा और महाराष्ट्र के आदिवासी आयुक्त		सदस्य
(3) कृषि, सहकारिता, शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग, योजना आयोग और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से नीचे रैंक के नहीं)		सदस्य
(4) संयुक्त सचिव (आदिवासी विकास)	सयोजक	सदस्य
(5) श्री एस० सी० बेहुर, निदेशक, आदिवासी विकास		सचिव

तथापि, कार्यकारी दल ऐसे अन्य योग्य व्यक्तियों को सहयोजित कर सकता है जिन्हें वह इस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे।

4. कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय ये होंगे :—

(1) आदिवासी क्षेत्रों में विशेषकर, सहकारिता, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कृषि और सबद्ध क्षेत्रों में मूल स्तर पर प्रशासनिक ढांचे का पुनरीक्षण,

(2) प्रशासन और लोगों के बीच सम्पर्क में मौजदा रुकावट समाप्त करने के तरीकों का सुझाव देना; और

(3) आदिवासी क्षेत्रों की विशेष समस्याओं और स्थानीय समुदाय के साथ विस्तार सेवाओं के संगठनात्मक एकीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन का सुझाव देना।

5. कार्यकारी दल अपने कार्य की स्वयं प्रणाली तैयार करेगा और दिसम्बर, 1977 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

महादेव शर्मा, संयुक्त सचिव

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्तूबर 1977

संकल्प

सं० 13/4/76-इले० इण्ड०—तकनीकी विकास के महानिदेशालय में विकास अधिकारी श्री डी० बी० मलिक को उद्योग मंत्रालय के संकल्प सं० 13/4/76-इले० इण्ड० दिनांक 23-12-76 द्वारा गठित वार्तानुकूलन रेफ्रीजरेशन उद्योग सामिका का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया था। सरकार ने अब सामिका में श्री डी० बी० मलिक के स्थान पर तकनीकी विकास के महानिदेशालय में विकास अधिकारी श्री आर० के० धवन को सदस्य सचिव नियुक्त करने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सूचना सभी सम्बन्धितों को दी जाए तथा आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

गिरीश नारायण मेहरा, संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110029, दिनांक 30 सितम्बर, 1977

संकल्प

स० एफ० 4-6/77-सर्वे०-3 (बी)—इस विभाग के दिनांक 30 सितम्बर, 1975 के संकल्प सं० एफ० 4-6/74-सर्वे०-3 (खण्ड-2) द्वारा

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के लिए वैज्ञानिक मूल्याकन एव कार्यान्वयन समिति गठित की गई थी। उस सकल्प के पैरा 1 में इन प्रविष्टियो के स्थान पर

"अध्यक्ष : प्रो० टी० एस० सत्यशिवन,
गोकुलम,
54, एम के ए, कोयल स्ट्रीट,
मद्रास-600004"

यह पढ़ा जाए,

"अध्यक्ष" डा० एच० वाई मोहन राम,
अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।"

यह, इस संकल्प के जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक-एक प्रति वैज्ञानिक मूल्याकन एव कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सभी सदस्यो, निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, हावडा तथा प्रधानमत्री सचिवालय और सभी मत्रालयो को भिजवा दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए० रामचन्द्रन, सचिव

कृषि और सिचाई मन्त्रालय
(कृषि विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 1977

सकल्प

स० एफ० एन० ए० 20014/3/77-फेट:—भारत सरकार ने सकल्प सख्या 16-72/47 पालिसी, दिनांक 8 नवम्बर, 1948 द्वारा स्थापित तथा सकल्प संख्या एफ० 10-1/65-फेट, दिनाक 9 सितम्बर, 1966 और एफ० 10-4-74 फेट, दिनाक 6 अगस्त, 1975 द्वारा पुनर्गठित खाद्य तथा कृषि संगठन की राष्ट्रीय सम्पर्क समिति को तत्काल से भग करने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों तथा विभागो, सभी राज्य सरकारो और सघ राज्य क्षेत्रो, योजना आयोग, मत्रिमण्डल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक, ससद कार्य विभाग कृषि तथा सिचाई मन्त्रालय के सभी सलग्न और अधीनस्थ कार्यालयो को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

ए० दास, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनाक 30 सितम्बर 1977

सकल्प

स० 14013/1/77-एफ० आर० —भारत सरकार ने इस मन्त्रालय के 31 जुलाई, 1976 के इसी सख्या के सकल्प के अनुसार गठित 'सूरतगढ़ फार्म पूजीनिवेश मूल्यांकन समिति' के लिये रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख को 31 दिसम्बर, 1977 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक एक प्रति नीचे लिखे व्यक्तियों को भेज दी जाए :—

1. सभी राज्य सरकारे/सघ राज्य क्षेत्र
2. लोक सभा सचिवालय
3. राज्य सभा सचिवालय
4. प्रधान मन्त्री का सचिवालय
5. मन्त्रिमण्डल सचिवालय
6. न्यायमूर्ति जानकी नाथ भट्ट,
अध्यक्ष, सूरतगढ़ फार्म पूजी निवेश मूल्यांकन समिति,
नई दिल्ली।
7. श्री आर०राजगोपालन, मुख्य लागत लेखा अधिकारी।
वित्त मत्रालय, भारत सरकार,
जीवन तारा बिल्डिंग, कमरा न० 403
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
8. श्री एम० एस० सदाशिवन, अध्यक्ष,
आर० आई० तथा एम० डी० कारपोरेशन, जयपुर।
9. भारतीय कृषि अनुसधान परिषद्, कृषि भवन, नई दिल्ली।
10. स्थापना-1/2/3/4/5/6 अनुभाग, कृषि विभाग।
11. सूचना अधिकारी, कृषि विभाग, नई दिल्ली।
12. अध्यक्ष, भारतीय राज्य फार्म निगम, नई दिल्ली।
13. निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़, जेतसर (राजस्थान)
14. वेतन तथा लेखा अधिकारी (सचिवालय), कृषि तथा सिचाई मन्त्रालय नई दिल्ली।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह सकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

अन्ना आर० मल्होत्रा, अवर सचिव

शिक्षा तथा समाज कल्याण मत्रालय
(शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनाक 11 अक्तूबर 1977

संकल्प

स० एफ० 7-2(3)/74-जी-I (भाषा)—इस मत्रालय के समसख्यक दिनांक 29 अप्रैल, 1975 में आशिक तरमीम करते हुए सकल्प मे एतद्द्वारा निम्नलिखित सशोधन करने का सकल्प किया जाता है। यह संशोधन 3 अक्तूबर, 1977 से लागू होगे :—

गठन

1 (4) कृपया वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर यह पढ़े :

लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नामित चार लोकसभा के सदस्य —

(1) श्री जी० एस० मिश्र
(2) श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डे
(3) श्री माधवराव सिंधिया
(4) श्री रामधारी शास्त्री
} सदस्य

केवल कृष्ण सेठी, निदेशक (भाषाएं)

निर्माण, आवास, पूर्ति और पुनर्वास मत्रालय
(पूर्ति विभाग)
नई दिल्ली, दिनाक 29 सितम्बर 1977

स० क्रय-3-1 (30)/74—भारत सरकार ने, 24 दिसम्बर, 1974 के सकल्प स० क्रय-3-1(30)/74 द्वारा गठित की गई सरकारी क्रय समिति के अध्यक्ष के पद पर मंत्री (पूर्ति और पुनर्वास) के स्थान पर मत्री (निर्माण, आवास, पूर्ति और पुनर्वास) को नियुक्त करने का निर्णय किया है। इसके परिणाम-स्वरूप कथित सकल्प में 'अध्यक्ष' शीर्षक के अन्तर्गत क्र० स० 1 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी —

"मत्री (निर्माण, आवास, पूर्ति और पुनर्वास)"

जे० एम० लिंगडोह, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
New Delhi, the 21st September 1977
RESOLUTION

No 12024/2/77-TD —With the substantial stepping up of financial investment in the tribal areas during the Fifth Plan, administrative unpreparedness has appeared as a major constraint to tribal development. The review shows that in many tribal areas, there is lack of communication between the general administration including extension agency and the local community for a variety of socio-economic reasons There is considerable duplication of functional responsibilities as the administrative structure tends to be over-specialised and compartmentalised A large number of posts, particularly key technical posts remain unfilled or unoccupied, immobilising the entire extension agency and administration

2. The need for restructuring of the administrative set-up was underlined in the guidelines for sub-plan formulation. The Constitution itself provides adequate scope for a flexible approach to matters relating to tribal areas. The First proviso to Article 275(1) makes a special mention of raising the level of administration of the Scheduled Areas. Suitable articulation of these provision however, still remains to be done. The new responsibility, which the administration will have to carry, with the renewed developmental effort particularly during the next plan period, now makes it necessary that a systematic review of the administrative structure particularly in agriculture and allied sectors, education and health is taken up urgently so that it can be re-organised and restructured for ensuring a faster development of tribal areas and communities according to a time-bound programme. It is, therefore, proposed to constitute a Working Group to undertake this review and suggest suitable measures.

3. The composition of the Working Group will be as follows :

(1)	Shri J. P Naik Member-Secretary, Indian Council of Social Science Research, New Delhi.	Chairman
(2)	Tribal Commissioners of Madhya Pradesh, Bihar, Orissa and Maharashtra.	Members
(3)	Representative of the Departments of Agriculture, Co-operation, Education & Health, Planning Commission & National Co-operative Development Corporation (not below the rank of Joint Secretary).	Members
(4)	Joint Secretary (Tribal Development)	Convener Member
(5)	Shri S. C Behar, Director of Tribal Development.	Secretary.

The Working Group, may, however, co-opt other suitable persons which it may consider necessary for completing this work

4. The Terms of Reference of the Working Group will be :

(1) Review the administrative structure at the grass root level in the tribal areas particularly of agriculture and allied sectors including cooperation, health and education;

(2) Suggest methods to overcome the existing communication barrier between the administration and the people; and

(3) Suggest re-organisation of the administrative structure keeping in view the special problems of the tribal areas and the need for organic integration of extension services with the local community.

5 The Working Group will draw up its own procedure of work and submit its report by the end of December, 1977.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be published in the Gazette of India.

B. D SHARMA, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 7th October 1977

RESOLUTION

No. 13/4/76-El.Ind.—Shri D B Malik, Development Officer, DGTD, was appointed as Member Secretary of the Panel on Airconditioning and Refrigeration Industry constituted vide Ministry of Industry's Resolution No. 13/4/76-El. Ind. dated 23-12-76. Government have now decided that Shri R. K. Dhawan, Development Officer, DGTD, would be the Member Secretary of the Panel in place of Shri D. B. Malik.

ORDER

ORDERED that copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

G. N. MEHRA, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi-110029, the 30th September 1977

RESOLUTION

No. F 4-6/77-Sur.3(B).—In this Department's Resolution No. F.4-6/74-Sur.3(Pt. II) dated the 30th September, 1975, setting up Scientific Evaluation and Implementation Committee for the Botanical Survey of India, the existing entries in para 1.

"Chairman :

Prof. T. S. Sadasivan,
'Gokulam'
54, MA, Koil Street,
Madras-600004."

may be substituted by the following;

"Chairman :

Dr. H. Y. Mohan Ram,
Head of Department of Botany,
University of Delhi, Delhi."

This has effect from the date of issue of this Resolution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to the Chairman and all members of the Scientific Evaluation and Implementation Committee, Director, Botanical Survey of India, Howrah, the Prime Minister's Secretariat and all Ministries.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. RAMACHANDRAN, Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 27th September 1977

RESOLUTION

No Fna. 20014/3/77-FAIT.—The Government of India have decided to dissolve, with immediate effect, the National FAO Liaison Committee set up under Resolution No. 16-72/47-Policy dated the 8th November, 1948 and reconstituted under Resolution Nos. F.10-1/65-FAIT dated the 9th September, 1966 and F.10-4/74-FAIT dated the 6th August, 1975.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government of India, all State Governments and Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Deparment of Parliamentary Affairs all attached and subordinate offices of the Ministry of Agriculture and Irrigation.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. DAS, Addl. Secy.

New Delhi, the 30th September 1977

RESOLUTION

No. 14013/1/77-PR.—The Government of India have decided to extend the time limit for submission of its report by the 'Suratgarh Farm Investment Evaluation Committee' set up vide this Ministry's Resolution No. 11-33/68-PR (Vol. II) dated 31st July, 1976 upto 31st December, 1977.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to :—

1. All State Governments/Union Territories.
2. Lok Sabha Secretariat
3. Rajya Sabha Secretariat.
4. Prime Minister's Karyalaya.
5. Cabinet Secretariat
6. Justice Janki Nath Bhat, Chairman, Suratgarh Farm Investment Evaluation Committee, New Delhi.
7. Shri R. Rajagopalan, Chief Cost Accounts Officer, Ministry of Finance, Govt. of India, Jeevan Tara Building, Room No. 403, Parliament Street, New Delhi.
8. Shri M. S. Sadasivan, Chairman, R.I. & M. D. Corporation, Jaipur.
9. Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhavan, New Delhi.
10. E.I, E II, E III, E IV, EV, EVI, Deptt of Agriculture
11. Information Officer, Department of Agriculture, New Delhi.
12. Chairman, State Farms Corporation of India, New Delhi.
13. Director, Central State Farm, Suratgarh/Jotsar (Rajasthan).
14. Pay & Accounts Officer (Secretariat), Ministry of Agriculture & Irrigation, (Department of Agriculture), New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

ANNA R MALHOTRA, Addl. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th October 1977

No F. 7-2(3)/74-D 1(I)—In further partial modification of this Ministry's Resolution of even number dated the 29th April, 1975, regarding the constitution of the Hindi Shiksha Samiti, it is hereby resolved to make the following amendment in the Resolution aforesaid. This amendment will take effect from the date of the issue of this Resolution, i.e. 3rd October, 1977

Composition .

1(4) For existing entry please read :

Four Members of the Lok Sabha nominated by the Speaker .

Members

(1) Shri G S Mishra
(2) Shri Ambika Prasad Pandey
(3) Shri Madhavrao Scindia
(4) Shri Ram Dhan Shastri

K. K SETHI
Director (Languages)

MINISTRY OF WORKS, HOUSING, SUPPLY AND REHABILITATION

(DEPARTMENT OF SUPPLY)

New Delhi, the 29th September 1977

No. PIII-1(30)/74—The Government of India has decided to appoint the Minister for Works, Housing, Supply and Rehabilitation *vice* the Minister for Supply and Rehabilitation as Chairman of the Committee on Government Purchases set up vide Resolution No. PIII-1(30)/74 dated 24th December 1974 Consequently against S No. 1 under the heading "Chairman" in the said Resolution the following shall be substituted for the existing entries :—

"Minister for Works, Housing, Supply and Rehabilitation."

J. M. LYNGDOH, Director.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977